प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 12.03.2022

❖ राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान वाहन मालिकों/चालकों द्वारा ई-चालानों का बढ-चढकर निस्तारण करवाया

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश जोधपुर महानगर जोधपुर के निर्देशानुसार दिनांक 12.03.2022 को जोधपुर महानगर के सम्बन्धित प्रकरणों की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। श्री हिमांशु कुमावत माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मोबाईल मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत को ओर अधिक सफल बनाने के प्रयोजन से प्रथम बार ई-चालानों का अधिकाधिक निस्तारण करवाने हेतु श्री चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) के सुपरविजन में श्री रविन्द्र कुमार बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात पश्चिम) व श्री नरेन्द्र कुमार ,सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात पूर्व) के नेतृत्व में यातायात शाखा आयुक्तालय जोधपुर द्वारा कैमरों से बनाये गये ई-चालानों का निस्तारण करवाने हेतू वाहन मालिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत नोटिस दिये जाकर पाबन्ध किये गये। जिसकी पालना में तामील शुदा वाहन मालिक/चालक माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मोबाईल मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर के न्यायालय में उपस्थित होकर कुल 225 वाहन मालिकों/चालकों ने ई-चालनों का निस्तारण बिना परेशानी के कम समय व कम जुर्माना राशि में करवाया। तथा यातायात शाखा द्वारा पुराने 4545 एम.वी. एक्ट के चालानों को लोक अदालत में पेश किया जाकर निस्तारण करवाया।

भविष्य में भी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश जोधपुर महानगर जोधपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने पर जिन वाहन मालिकों/चालकों के चालान हो रखे है, उनसे सम्पर्क कर नोटिस तामील करवाकर ज्यादा से ज्यादा ई-चालानों का निस्तारण करवाया जायेगा। ताकि वाहन मालिकों को बिना किसी परेशानी व कम समय व जुर्माना राशि में एमवी. एक्ट चालानों का निस्तारण हो सकें।

(चैनसिंह महेचा)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, जोधपुर

न्यायालय परिसर को
स्वच्छ रखना हमारा
परम् कर्तव्य है।

न्यायालय परिसर को
स्वच्छ रखना हमारा
परम् कर्तव्य है।